न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 64/2015 (उदयपुर डिक्री)

1. नारायणलाल पिता उदयलाल जी ब्राहमण, निवासी चाटिया खेड़ी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. सुआलाल पिता उदयलाल जी ब्राहमण, निवासी चाटिया खेड़ी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. लक्ष्मीलाल पिता उदयलाल जी ब्राहमण, निवासी चाटिया खेड़ी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. हीरालाल पिता रता जी ब्राहमण, निवासी चाटिया खेड़ी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

1/1. गणे ालाल पिता स्वर्गीय हीरालाल जी ब्राहमण, निवासी चाटिया खेड़ी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

2. प्यारचन्द पिता नाथूलाल जी ब्राहमण, निवासी चाटिया खेड़ी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. तहसीलदार, गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा
दिनांक 06.07.2015 प्र.सं. 212/2010

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री नरेन्द्र सोनी अभिभाशक अपीलान्टगण

2– श्री कमले ा चौहान राजकीय अभिभाशक

———::———

निर्णय दिनांक 08–11–2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.12.06 12:26:42 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे का त की गांव चाटीया खेड़ी में आराजी नंबर 201 रकबा 0.0050 हैक्टर, 206 रकबा 0.0100 हैक्टर एवं 220 रकबा 0.1450 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 847 व 843 थे। इसी प्रकार आराजी नंबर 938 रकबा 0.1800 भी वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे का त की भूमि है। इसी प्रकार आराजी नंबर 1892/941 रकबा 0.0050 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज है तथा आराजी चाह नंबर 225 रकबा 0.0250 हैक्टर स्थित है, जिसमें वादीगण का 1/5 हिस्सा है व आराजी चाह नंबर 941 रकबा 0.0250 हैक्टर में वादीगण का 1/3 हिस्सा है। उक्त आराजियात के पूर्व में आम रास्ता है, जो चाटीया खेडी से गोगुन्दा की तरफ जाता है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ है तथा वादीगण की उक्त भूमि आम रास्ते के पि चम दि ाा में है। इस बीच में अन्य खेत हैं व उक्त आराजी चाह नंबर 225 से होते हुए आराजी नंबर 202 की दक्षिण दि ाा की पाली से होते हुए तथा आराजी नंबर 226 की उत्तरी दि ाा की पाली से होते हुए जो रास्ता है, उसका उपयोग वादीगण 200–300 सालों से पूर्वजों के समय से करते चले आ रहे हैं, किन्तु प्रतिवादीगण रास्ते में बाधा उत्पन्न करते हैं व लड़ाई–झगड़ा करते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी जबरन प्रवे ा करना चाहते हैं व वादीगण को बेदखल करने पर उतारू हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06–07–2015 से वादीगण के वाद की कार्यवाही इस आधार पर ड्रोप कर दी कि वादी द्वारा धारा 188 रा.का.अ. के तहत यह वाद पे ा किया गया है एवं दाद रास्ते की चाही गयी है। चूंकि वादी द्वारा रास्ते हेतु धारा 251 क में प्रार्थना पत्र पृथक से दायर कर रखा है। अतः इस प्रकरण में कोई कार्यवाही भोश नहीं रह जाने से प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। जिससे रूश्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 राज्य [illegible] की ओर से राजकीय अभिभाशक

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.12.06 12:26:42 IST
Reason: SelfAttested

श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए। भोश रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना उनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौरान विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण द्वारा स्थायी निशेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था, जिस पर भाहादत सबूत लिये बिना तथा अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना राजस्व लोक अदालत में सरसरी तौर पर कार्यवाही ड्रोप करने का आदे ा दिया, जो विधि के विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि वादी ने रास्ते हेतु धारा 251 क का प्रार्थना पत्र पृथक से दायर कर रखा है अतः इस प्रकरण में कोई कार्यवाही भोश नहीं रहती, जबकि प्रस्तुत वाद केवल रास्ते से संबंधित ही नहीं है अपीलान्ट को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल करने एवं बाधा पहुंचाने संबंधी भी है, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण साक्ष्य सबूत लेकर विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाशक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की उपस्थिति में दिनांक 06–07–2015 को यह निर्णय पारित किया कि ''वादी द्वारा धारा 188 रा.का.अ. के तहत यह वाद पे ा किया गया है एवं दाद रास्ते की चाही गयी है। चूंकि वादी द्वारा रास्ते हेतु धारा 251 क में प्रार्थना पत्र पृथक से दायर कर रखा है। अतः इस प्रकरण में कोई कार्यवाही भोश नहीं रह जाने से प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है।'' अधिनस्थ न्यायालय का उक्त विवेचन विधि अनुसार है, क्योंकि हमारे द्वारा वादीगण के वाद का गहनता से अध्ययन किये जाने पर यह पाया गया कि वादीगण के वाद का मुख्य आधार रास्ते से संबंधित ही है एवं रास्ते बाबत् वादीगण ने पृथक से प्रार्थना पत्र धा[illegible] के तहत प्रस्तुत नहीं कर रखा

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.12.06 12:26:42 IST
Reason: SelfAttested

हो, इस तथ्य से भी वादी ने इंकार नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वादीगण का वाद रास्ते संबंधित होने के कारण एवं रास्ते बाबत् वादीगण द्वारा धारा 251 क के तहत पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण वादी के वाद की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप करने का आदे ा दिया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06–07–2015 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 08–11–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.12.06 12:26:42 IST
Reason: SelfAttested